न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस

<u>अपील संख्याः 94 / 13</u> निर्णय दिनांकः—11.04.2019

1. रामलाल(फौत)
1/1 सुन्दर देवी
1/2 नन्दराम
1/3 धर्मपाल
1/4 गुड्ड

पत्नी / पुत्र / पुत्रियाँ स्व. रामलाल जाति जाट निवासी मनाफसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

2. ओमप्रकाश
3. शंकरलाल
4. लालचन्द

पुत्रगण स्व. रेवन्तराम जाति जाट निवासी मनाफसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर

5. परमेश्वरी पत्नी स्व. देवीलाल जाति जाट निवासी मनाफसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
6. राकेश पुत्र स्व. देवीलाल जाति जाट निवासी मनाफसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. गौरा पत्नी स्व. नरसाराम
2. हंसराज
3. सरबती
4. रूकमा
5. विद्या
6. परमेश्वरी
7. सुल्तानाराम
8. बजरंगलाल

पुत्र / पुत्रियाँ स्व. नरसराम जाति जाट निवासी मनाफसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बीकानेर। —रेस्पोडेन्ट्स
10. केसर (फौत)
10/1 बींझाराम पति मु. केसर
10/2 नेमीचन्द
10/3 नौरंगलाल
10/4 भंवरी
10/5 चन्दू
10/6 तुलसी

पुत्र / पुत्रियाँ मु. केसर जाति जाट निवासी करणसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

11. तीजा
12. शान्ति
13. मोहनी
14. कम्मा
15. चावली पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी मनाफसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–गौण रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 27–04–2002
उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर।

<u>उपस्थितः</u>

1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉं, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27–04–2002 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट का दावा विधि विरूद्व तरीके से डिक्री किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि वादगत् भूमि ग्राम धीरदार तहसील लूणकरनसर के पुराना खसरा नम्बर 63 तादादी 52 बीघा 1 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 410 तादादी 52 बीघा 1 बिस्वा पैमूद हुए। उक्त भूमि अपीलांट के पिता स्व. रेवन्तराम पुत्र चेतनराम के नाम खातेदारी भूमि रही है। रेस्पोडेन्ट के पिता स्व. नरसाराम द्वारा अदालत मातहत के समक्ष एक दावा प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि वादगत् भूमि खसरा नम्बर 410 तादादी 42 बीघा 01 बिस्वा भूमि में उनका 1/2 हक व हिस्सा निहित है जिसकी धोषणा करवाने का वह अधिकारी है। अदालत मातहत द्वारा कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के

विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट का वाद डिक्री करने में कानूनी भूल कारित की गई है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायाल हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि ग्राम धीरदार तहसील लूणकरनसर के पुराना खसरा नम्बर 63 तादादी 52 बीघा 1 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 410 तादादी 52 बीघा 1 बिस्वा पैमूद हुए, उक्त भूमि अपीलांट के पिता स्व. रेवन्तराम पुत्र चेतनराम के नाम खातेदारी भूमि रही है। उक्त भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट के पिता स्व. नरसाराम द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 88, 199 एवं 53 आरटीए के तहत प्रस्तुत करते हुए वादगत् भूमि खेत खसरा नम्बर 410 तादादी 52 बीघा 01 बिस्वा भूमि में उनका 1/2 हक व हिस्से की धोषणा किये जाने एवं बंटवारा किये जाने की इस्तदुआ की गई।

उन्होनें आगे बताया रेस्पोडेन्ट के पिता का स्वर्गवास वर्ष 1998 को हो गया तथा अपीलांट के पिता रेवन्तराम का भी स्वर्गवास वर्ष 1999 को हो चुका था अर्थात निर्णय व डिक्री पारित किये जाने से लगभग चार वर्ष पूर्व हो चुका था। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद कानूनन अबेट हो चुका था। कानून यह सुस्थापित स्थिति है कि दावे को अबेटमेंट सेट—एसाईड करवाये बगैर डिक्री नहीं किया जा सकता है। अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की गई है। चूंकि दावाकर्ता स्वयं का स्वर्गवास वर्ष 1998 में हो चुका था तथा कानूनन 90 दिवस उपरान्त दावा स्वतः ही अबेट हो चुका था ऐसी स्थिति में एक अस्तित्वहीन दावे को डिक्री किया जाना अदालत मातहत के क्षेत्राधिकार से बाहर था। चूंकि अदालत मातहत द्वारा मृत व्यक्तियों के विरूद्व आदेश जैर अपील पारित किया है, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश शून्य आदेश की श्रेणी में आता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य पर ना तो जिरह का अवसर प्रदान किया गया ना ही सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान

किया गया। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा ए.आईआर. 1989 पेज 66 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:– Evidence Act (1 of 1872), S.61 Documents upon which reliance is placed- Must be brought on record legaly- Documents do not prove themselves- Passing of order on basis of documents- No witness examined for proving documents- There is procedural infirmity in passing impugned order.

अदालत मातहत के समक्ष दावा धोषणात्मक एवं बंटवारें का प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अदालत मातहत द्वारा वादी/रेस्पोडेन्ट को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित करने के साथ–साथ बिना विभाजन प्रस्ताव मंगवायें व बिना कब्जे की रिपोर्ट प्राप्त किये अन्तिम डिक्री जारी कर दी गई जो स्पष्ट रूप से कानून व विधि के विपरीत है। जबकि वादगत् भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि है तथा आज दिनांक तक वादगत् भूमि पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में बिना कब्जे काश्त की रिपोर्ट प्राप्त किये वादगत् भूमि का विभाजन करने में अदालत मातहत द्वारा कानूनी भूल कारित की गई है।

अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में निर्णय व डिक्री मृत वादी एवं मृत प्रतिवादी के विरूद्व पारित की गई है जबकि कानूनन मृतक व्यक्तियों के विरूद्व निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आरबीजे 2017 पेज 386 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:– Civil Procedure Code 1908 - Order 22 Rule 3 and 4 Section 100 - Abatement of Appeal - Appeal Abates Automatically on expiry of 90 days from the date of death, if LR's are nor substituted.

ऐसी स्थिति में जब अदालत मातहत के समक्ष यह स्थिति सामने आ चुकी थी कि वादी/प्रतिवादी दोनों की मृत हो चुक है ऐसी स्थिति में बिना अबेटमेंट सेटएसाईड किये निर्णय पारित करने में कानूनी भूल कारित की गई है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित

करने में जिस राजीनामें का सहारा लिया गया है उक्त तथाकथित राजीनाम न्यायालय के सामने प्रस्तुत ही नहीं किया गया। लिहाजा वादी/रेस्पोडन्ट अदालत मातहत के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि चूंकि अपीलांट को आदेश जैर अपील की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 09—09—2013 को प्राप्त जब अदालत मातहत से नोटिस प्राप्त हुए। अपीलांट द्वारा बिना देरी किये जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा पातिर आदेश स्पष्ट रूप से कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। ऐसे क्षेत्राधिकार से बाहर पारित आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आरआरडी 1992 पेज 117 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अभिलिखित किया गया है किः— Indian Limitation Act, Section 3 - The question of limitation should not arise in the case of an order passed without jurisdiction and therefore, void - Such as order can be set aside at any time.

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 पार्ट II राज. पेज 377 व एआईआर 1999 एससी पेज 1441 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया वादगत् भूमि साबिका खसरा नम्बर 41 तादादी 24 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 63 तादादी 52 बीघा 01 बिस्वा भूमि जिसके सेटलमेंट में नये खसरा नम्बर 260 तादादी 16 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 410 तादादी 52 बीघा 01 बिस्वा पैमूद हुए। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी के पिता चेतनराम के नाम बतौर काश्तकार व कब्जे काश्त की संवत् 2010 से चली आ रही थी। दौराने सेटलमेंट पैमाईश के दौरान वादगत् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज करवा ली गई। जो कि कानूनी स्थिति के अनुसार गलत था। ऐसी स्थिति में

वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पिता की भूमि में से 1/2 हिस्से की धोषण करवाने तथा विभाजन का वाद अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा तमाम राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् आदेश जैर अपील पारित किया गया हैं।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में आगे बताया कि भू–प्रबन्ध विभाग की पैमाईश से पूर्व वादगत् भूमि वादी/प्रतिवादी के पिता के नाम खातेदारी भूमि रही हैं। भू–प्रबन्ध विभाग ने गैर कानूनी तरीके से विवादित भूमि अकेले प्रतिवादी रेवन्तराम के नाम दर्ज कर दी गई जिसका उन्हें कतई अधिकार हासिल नहीं था। सेटलमेंट विभाग को पूर्व के इन्द्राज को परिवर्तित करने का अधिकार हासिल नहीं है। चूंकि वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट का 1/2 हिस्स कानूनन साबित है। अदालत मातहत के समक्ष प्रतिवादी रेवन्तराम की सहमति से दावा डिक्री किया गया है, जो किसी पक्षकार के विरूद्व पारित नहीं होने से उक्त निर्णय व डिक्री पर अबेटमेंट के सिद्वान्त लागू नहीं होते है।

उन्होनें आगे बताया कि वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में अदालत मातहत के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य यथा नकल गिरदावारी संवत् 2010, गिरदवरी संवत् 2020 से 2025, जमाबन्दी सवंत् 2034 से 2037, जमाबन्दी संवत् 2026, मिलान क्षेत्रफल आदि प्रस्तुत किये गये थे। जिससे प्रथम दृष्टया ही यह साबित होता है कि वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति रही है। जिस पर वादी का 1/2 हिस्सा कानूनन बनता है। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा लिखित राजीनामा प्रस्तुत करते हुए वादी का वादगत् भूमि पर 1/2 हिस्से को स्वीकार भी किया गया हैं ऐसी स्थिति में अपीलांट/प्रतिवादीगण अब इस स्थिति से इंकार नहीं कर सकते है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा आरआरटी 2018 पार्ट II पेज 1341 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अभिलिखित किया गया है किः–

Rajasthan Tenancy Act, 1955 - Secs. 88, 89 & 188 - Suit filed against the father of the respondeny- Compromise took place & signed by 'K' - Assistant Collector attested the compromise & passed the

judgement & decree - Land of Murti Mandir & no khatedari rights can be conferred to any person on the basis of possession & cultivation- 'K' admitted that the land has been wrongly enterd in his name & may be deleted - No appeal is maintainable against the decree passed on the basis of the compromise- Held, Appeal is devoid of merits & dismissed.

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि चूंकि वादगत् भूमि एक पैतक सम्पति है जिस पर वादी/रेस्पोडेन्ट्स का जन्म से ही अधिकार निहित है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा आरओजे 1999 पेज 292 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:–Succession - After the death of Hindu male-widow daughter and sons get equal share.

इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा तमाम कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उनके समक्ष प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड, राजीनामें के अवलोकन व सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई गलती को स्वीकार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 1999 पेज 7 का न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत किया गया।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों के समर्थन में तर्क पेश किया है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद विचाराधीन रहते हुए ही वादी व प्रतिवदी दोनों फौत हो चुके थे जिसका सबूत रेवतन्राम का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 18–11–2010 तथा नरसाराम के वारिसों के नाम दर्ज इंतकाल दिनांक 05–09–1998 है। उक्त दोनों पक्षकारों की मृत्यु के तीन माह बाद भी उनके जायज

वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लेने पर दावा स्वतः ही अबेट हो चुका था। अपीलांट के उक्त तर्क के जवाब में रेस्पोडेन्ट्स का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी रेवतन्राम की सहमति के आधार पर दावा डिक्री किया गया जो किसी पक्षकार के विरूद्व नहीं होने के कारण अबेटमेंट का प्रावधान लागू नहीं होता है।

अपीलांट का तर्क है कि कथित सहमतीपत्र को परीक्षण न्यायालय के समक्ष बयानों के द्वारा प्रदर्शित नहीं करवाये जाने के कारण ऐसा दस्तावेज पढ़ा नहीं जायेगा तथा इस प्रकार के जाली दस्तावेज के आधार पर दावा डिक्री करने में अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है। इस संबंध में उभय पक्षों के अभिभाषकों की बहस पर गौर किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों पर मनन किया गया।

प्रकरण में वादी नरसाराम द्वारा दिनांक 03—06—1986 को उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर के समक्ष धोषणा तथा तकासमें का दावा पेश किया गया, जिसमें रेवन्तराम तथा राज्य सरकार को प्रतिवादी बनाया गया। प्रतिवादी रेवन्तराम की और से वकील लगातार 11 वर्ष तक हाजिर हुए परन्तु जवाब दावा पेश नहीं किया। परीक्षण न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर प्रतिवादी रेवन्तराम ने उक्त आदेश की अपील वर्ष 1990 में राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष पेश की। अपील के निर्णय के बिन्दु संख्या 9 में उल्लेख किया गया है कि नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2020 से 2023 पुराना खसरा नम्बर 63 तादादी 52 बीघा 01 बिस्वा में उपकृषक के कॉलम में रेवन्त वगैरा काश्तकार दर्ज और उसके नीचे खसरा नम्बर 41 के काश्तकार को रिपीट किया गया है। इससे स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 41 व 63 के रेवन्त वगैरा काश्तकार रहे है, न कि केवल रेवन्तराम। अपील के निर्णय में न्यायालय ने माना है कि प्रथम दृष्टया विवादग्रस्त आराजी पैतृक व दोनों भाईयों की काश्त की सम्पति है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद की सुनवाई के दौरान तथा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश करने से साबित है कि प्रतिवादी रेवन्तराम ने लगातार न्यायालय की कार्यवाही में भाग लिया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 45 पर शामिल दस्तावेजों की सूची में क्रमांक संख्या 6 पर इकरारनामा की प्रमाणित प्रति पेश करने का उल्लेख है। इससे जाहित है कि राजीनाम की उक्त

इबारत विधि सम्मत तरीके से न्यायालय की पत्रावली में शामिल करवाई गई है। वादपत्र का जवाब नहीं दिये जाने से भी साबित होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त लोक दस्तावेजों पर प्रतिवादी को कोई उज्र नहीं था तथा मौखिक साक्ष्य के अभाव में केवल उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही न्यायालय को निर्णय करना था। प्रतिवादी द्वारा वादपत्र तथा वादी द्वारा प्रस्तुत किसी दस्तावेज पर आपत्ति पेश नहीं करने से स्पष्ट है कि वाद सहमति के आधार पर ही निर्णित किया गया।

परीक्षण न्यायालय द्वारा भूलवश निर्णय के तुरन्त बाद डिक्री तैयार नहीं करने के कारण मूल वाद के पक्षकारों की मृत्यु के 11 वर्ष बाद वादी के वारिसों द्वारा निर्णय की इजराय करने हेतु दरख्वास्त पेश की गई तथा मृतक प्रतिवादी के वारिसों ने मृतक के विरूद्व वाद को उपशासित मानकर डिक्री को चुनौती दी गई है। वादी नरसाराम की मृत्यु की तिथि के बारे में दोनों पक्षों ने विरोधाभासी दस्तावेज पेश किये है। ग्राम पंचायत करणीसर द्वारा दिनांक 06—05—2013 को जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में नरसाराम की मृत्यु दिनांक 05—06—2002 को होना बताई गई है जबकि नामान्तरणकरण दिनांक 05—09—1998 में इससे पॉच माह पहले की तारीख में मृत्यु होना बताया गया है। पक्षकारों की मृत्यु यदि वाद की सुनवाई के दौरान हुई थी तो प्रतिवादी को चाहिए था कि न्यायालय को वाद के अबेटमेंट के बारे में सूचित करते परन्तु कथित मृत्यु की घटना एवं वाद के निर्णरू के 12 वर्ष बाद भी इस बाबत् कोई आपत्ति नहीं की गई। न्यायालय के लिए संभव नहीं था कि पक्षकारों द्वारा सूचना नही ंदिये जाने पर स्वयं के स्तर पर किसी पक्षकार की मृत्यु की घटना की जॉच करें। अतः वाद अबेट होने तथा निर्णय निष्प्रभावी होने का अपीलांट का तर्क संधारणीय नहीं है।

रेस्पोडेन्ट की मुख्य आपत्ति अपील प्रस्तुत करने की मियांद को लेकर है। जिस पर अपीलांट्स का तर्क है कि जब वाद अबेट हो चुका था तथा आगामी 11 वर्ष तक डिक्री की तैयार नहीं की गई थी। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि निर्णय की जानकारी उपखण्ड अधिकारी के नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त ही हुई थी। जानकारी प्राप्त होते ही अपील पेश कर दी गई। अतः अपील के मियांद बाहर होने का प्रश्न ही नहीं है।

इस संबंध में विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अपील मूल आदेश की ही होती है। न्यायालय द्वारा निर्णय सुना दिये जाने के उपरान्त डिक्री तैयार करना निर्णय का ही आनुषांगिक भाग है। अपीलांट्स के पिता एवं उनके अभिभाषक बतौर प्रतिवादी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पूरी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे। उपखण्ड अधिकारी द्वारा वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने पर प्रतिवादी ने उक्त आदेश की अपील की थी, जो दिनांक 12—04—1991 को खारिज हो चुकी थी। उक्त निर्णय के उपरान्त दिनांक 12—11—1991 को राजीनाम पेश किया। न्यायालय की कार्यवाही में लगातार भाग लेने के उपरान्त वादी/प्रतिवादी की मृत्यु हो चुकी थी। साक्ष्य तथा सुनवाई पूर्ण होने पर न्यायालय द्वारा स्वाभाविक तौर पर निर्णय सुनाया गया। जिसकी जानकारी दोनों पक्षों को भी नहीं होने के कारण आगामी 11 वर्ष तक निर्णय की पालना में रिकार्ड की दुरूस्ती नहीं की गई। कानून की बारीकियों से अनभिज्ञ ग्रामीण परिवेश के लोगों से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे मियांद या वाद के अबेटमेंट के बारे में सतत् जानकारी रखें। अपीलांट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने से ही उक्त निर्णय की प्रभावशीलता प्रमाणित होती है। निर्णय के 11 वर्ष बाद उपशमन का प्रश्न प्रासंगित नहीं रहा है तथा मियांद बाहर होने का प्रश्न ही गौण है। अतः अपील विलम्ब से पेश होने की आपत्ति खारिज की जाती है तथा अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना है।

परीक्षण न्यायालय के समक्ष दोनों पक्ष लगातार उपस्थित रहे, परन्तु प्रतिवादी ने अपना जवाब या प्रतिदावा पेश नहीं किया तथा न ही मौखिक साक्ष्य पेश किये। ऐसी स्थिति में न्यायालय ने वादपत्र तथा इससे प्रासंगिक दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेते हुए दोनों पक्षों को उनके हिस्से तक का खातेदार धोषित कर दिया तथा प्रतिवादी नरसाराम के द्वारा हस्ताक्षरित राजीनामा इबारत को मान्यता देते हुए भूमि के बंटवारें का अनुतोष स्वीकार करते हुए वाद स्वीकार कर लिया गया। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने की तिथि को विवादित भूमि पर पक्षकारों के पिता चेतन की काश्त होने तथा चेतन की मृत्यु के उपरान्त विवादित एक खसरा में भू—प्रबन्ध विभाग के कार्मिकों की भूल से वादी का नाम छूट जाने की स्थिति रिकार्ड से साबित होने पर न्यायालय ने वाद स्वीकार करने में कोई त्रूटि नहीं की है।

निर्णय के उपरान्त न्यायालय के कार्मिकों की भूल से यदि डिक्री पर्चा तैयार नहीं किया गया तो इससे वाद का निर्णय निष्प्रभावी नहीं माना जा सकता। पर्चा डिक्री के लिए पक्षकारों से किसी प्रकार की आपत्ति अथवा अतिरिक्त साक्ष्य लेने की भी आवश्यकता नहीं रहती। वाद का निर्णय करने वाले न्यायालय का दायित्व है कि जब भी त्रूटि बाबत् ध्यान में लाया गया निर्णय के अनुसार डिक्री जारी की जानी चाहिए थी। यदि मूल वाद के पक्षकार इस दौरान फौत हो चुके थे तो उनके वारिसान को नोटिस देकर वैद्य वारिसों के पक्ष में निर्णय के अनुसार रिकार्ड दुरूस्त करने के आदेश दिये जाने थे। परीक्षण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए ही वारिसों को नोटिस जारी किये है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करनें में किसी प्रकार कोई कानूनी त्रूटि कारित नहीं की गई है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27—04—2002 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 11.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर